

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 462 / 14

संस्थापन दिनांक :- 30 / 07 / 14

फाईलिंग नं. 233504001202014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सिराज पिता मोहम्मद सफी
उम्र 27 वर्ष, निवासी भीमनगर बोड़खी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 18.07.2014 को समय दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गुरुनानक स्कूल के पास बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 13 इंच चौड़ाई 2½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 18.07.2014 को प्रधान आरक्षक मंगलमूर्ति को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुनानक स्कूल बोड़खी के सामने सिराज नाम का व्यक्ति हाथ में लोहे का छुरा लहराते घूम रहा है तथा आने जाने वाले रहागीर भयभीत हो रहे हैं। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छुरा लहराते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सिराज पिता सफी निवासी भीमनगर बोड़खी बताया तथा अवैध शस्त्र रखने संबंधी कागजात पूछने पर नहीं होना बताया। जिस पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क.

548/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.07.2014 को समय दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गुरुनानक स्कूल के पास बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 13 इंच चौड़ाई 2½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 मंगलमूर्ति (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 18.07.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ गुरुनानक स्कूल बोड़खी पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार छुरा लिए मिला। उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर कोई लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर कायमी सान्हा क्र. 1032 (प्रदर्श पी-3) लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 548/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 के छुरे को वही छुरा होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 यादोराव (अ.सा.-2) एवं चिरोजी (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही

साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) एवं चिरोंजी (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र मंगलमूर्ति (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 मंगलमूर्ति (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना और घेराबंदी कर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष लोहे का छुरा जप्त करना, उसे सीलबंद करना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत अभियुक्त को थाने लेकर आना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्ती पत्रक में नमूना सील नहीं लगायी गयी है और न ही इस बात का उल्लेख है कि जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में जप्ती का समय 13:00 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी का समय 13:10 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में जप्ती की कार्यवाही की जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक पहले से लेख है जिससे इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी मंगलमूर्ति (अ.सा.-1) के कथनों से जप्तशुदा आयुध की मौके पर नापजोप किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही प्रकरण में रवानगी रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने मौके पर अपने समक्ष जप्तशुदा आयुध सीलबंद किये जाने का भी समर्थन नहीं किया है। अतः इन परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.07.2014 को समय दोपहर 01:00 बजे या उसके लगभग गुरुनानक स्कूल के पास बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा

जिसकी कुल लंबाई 13 इंच चौड़ाई 2½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सिराज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)